वार्षिक प्रतिवेदन

2000–2001

के0ए0एच0सुब्रमणियन
आयुक्त एवं सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।
दूरभाष– 0612–223496
फैक्स – 0612–220857,
237273
वेबसाईट – **http://bihar.nic.in**
http://www.bihar. nic.in

प्रस्तुति

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य संपोषित कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता ओर सामाजिक विकास में सुधार के लिए आधारभूत ढॉचें के संवर्धन के अलावा ग्रामीण गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार करते हुए परिसम्पत्ति सृजन, आय सृजन और मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों के जरिए निर्धनतम लोगों तक पहुॅचने का प्रयास किया जा रहा है ।

यह वार्षिक प्रतिवेदन 2000-2001 ग्रामीण विकास द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्धियों का ब्योरा प्रस्तुत करता है । इस पुस्तिका के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की पारदर्शिता पूरी तरह परिलक्षित हो, यही हमारा प्रयास रहा है । इसे बेहतर बनाने का सुझाव सहर्ष आमंत्रित है ।

अवध बिहारी चौधरी,
मंत्री,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

दिनांक 22.9.2001

दो शब्द

गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण रोजगार और विकास पर ध्यान केन्द्रित करने वाली हमारी सरकार केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, राज्य संपोषित योजना एवं केन्द्र संपोषित योजनाओं के कार्यान्वयन को त्वरित करने हेतु कटिबद्ध है ।

यह वार्षिक प्रतिवेदन 2000-2001 आपको हमारी कटिबद्धता एवं उसके लिये किये जा रहे हमारे सतत् प्रयासों से परिचित करा सकेगा ।

आशा है कि इस संबंध में पाठक अपने विचार एवं सुझाव से विभाग को लाभान्वित करेंगें ।

संजय कुमार सिंह,
राज्य मंत्री,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

दिनांक 24-9-2001

प्राक्कथन

राज्य विभाजन के पश्चात् बिहार के 37 जिलों पर आधारित ग्रामीण विकास विभाग का यह वार्षिक प्रतिवेदन 2000-2001 है । इस पुस्तक में विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्रामीणों के समेकित विकास के लिये राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के वित्तीय एवं भौतिक स्थिति के आंकड़े प्रस्तुत् किये जा रहे हैं ताकि जनसाधारण इन कार्यक्रमों की पारदर्शिता से अवगत हो सकें ।

गत वर्ष 1999-2000 में केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों को परिवर्तित एवं परिवर्द्धित कर प्रभावशाली बनाने का कार्य प्रारंभ किया गया है । इस कड़ी में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजबार योजना के तहत 30 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों को अगले पांच वर्षा में स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें गरीबी रेखा से उपर उठाने की प्रतिवद्धता थी । जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के तहत ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु पंचायतों की अधिकाधिक सहभागिता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से उन्हें स्थानीय स्तर पर उपयोगी योजनाओं का चयन, वार्षिक योजनाओं की तैयारी, 50,000/- (पचास हजार) रूपये तक के योजनाओं की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति देने एवं योजनाओं को कार्यान्वित करने की पूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गयी एवं इस निमित्त इन कार्यक्रमों की सम्पूर्ण राशि भी उन्हें उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया । सुनिश्चित रोजगार योजना को स्वरूप को और प्रभावकारी बनाया गया तथा इंदिरा आवास योजना के तहत नये आवासों के सृजन के साथ-साथ पुराने आवासों का उन्नयन एवं ऋण और अनुदान नामक दो उप योजनाएं जोड़ी गयीं । इन योजनाओं के कार्यान्वयन में गत वर्ष प्रारंभिक कठिनाईयॉ विशेष कर बैंकों की सहभागिता वाले कार्यक्रमों में अधिकाधिक महसूस की गयी एवं उसके निदान हेतु विभाग सतत् प्रयत्नशील रहा । वर्ष 2000-2001 में इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी इसी परिपेक्ष्य में किया गया है एवं कई प्रशासनिक व्यवधानों (जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की हड़ताल भी सन्निहित है), जनगणना एवं पंचायत चुनाव में कर्मियों की व्यस्तता के बावजूद प्रशंसनीय उपलब्धि मिली है, जिनमें से निम्न उल्लेखनीय है :-

1. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत वर्ष 2000-2001 के लिये 902.12 करोड़ रूपये के वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 782.73 करोड़ रूपये व्यय किये गये, जो वित्तीय लक्ष्य का 86. 73 प्रतिशत है । गत वर्ष इन योजनाओं के अन्तर्गत 78.92 प्रतिशत की उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी थी ।
2. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एवं सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत वार्षिक लक्ष्य का क्रमशः 104.6 प्रतिशत एवं 104.9 प्रतिशत उपलब्धि हुई ।
3. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत जहां गत वर्ष वार्षिक लक्ष्य का मात्र 33.6 प्रतिशत उपलब्धि हुई थी, वहां 91.7 प्रतिशत उपलब्धि 2000-2001 में प्राप्त की जा चुकी है ।
4. केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में चुस्ती बरतने के परिणामस्वरूप वर्षात में अवशेष राशि में काफी कमी आयी है । गत वर्ष केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अवशेष राशि 486.14 करोड़ रूपये थी जब कि 2000-2001 के अंत में यह राशि घटकर 300.20 करोड़ रूपये हो गयी है ।

5. विभाग द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अधिकाधिक राशि विमुक्त कराने का सघन एवं सतत् प्रयास किया जाता रहा है जिसके परिणामस्वरूप 443.23 करोड़ रूपये की राशि विमुक्त हुई । यह भी उल्लेखनीय है कि सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण 20 प्रतिशत की राशि जो स्थगित रख दी गयी थी, उसे भी विभागीय प्रयास से विमुक्त कराया जा सका है ।
6. यह प्रकाशन डॉ. जितेन्द्र कुमार सिन्हा, उप निदेशक(सांख्यिकी) के तकनीकी मार्गदर्शन में तैयार किया गया है । इस प्रकाशन में श्री शिवेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक निदेशक(सांख्यिकी) का सहयेाग सराहनीय है ।
7. विभाग के सभी योजनाओं को कम्प्यूटर आधारित सूचना प्रणाली के तहत अनुश्रवण कार्य में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) बिहार राज्य एकक का तकनीकी सहयोग प्रशंसनीय रहा है ।
8. इस वार्षिक प्रतिवेदन को यथासंभव शुद्ध, परिपूर्ण एवं व्यापक बनाने का प्रयास किया गया है । पुस्तक की उपयोगिता एवं वांछित सुधार के लिए सुझाव एवं मंतव्य सादर आमंत्रित है ।

के0ए0एच0 सुब्रमणियन,
आयुक्त एवं सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

दिनांक: 24.09.2001

इस प्रतिवेदन के प्रकाशन कार्य से जुड़े कर्मियों की सूची

(1) <u>विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मी</u>

1.	श्री सुधीर कुमार	–	अपर सचिव
2.	श्री के0 सेंथिल कुमार	–	संयुक्त सचिव
3.	डॉ. जितेन्द्र कुमार सिन्हा	–	उप निदेशक (सांख्यिकी)
4.	श्री शिवेन्द्र कुमार वर्मा	–	सहायक निदेशक(सांख्यिकी)

(2) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ के प्रभारी पदाधिकारी

1.	श्री प्रशांत बेलवरियार	–	सिस्टम एनालिस्ट(एन0आईसी0)

(3) योजनाओं से जुड़े कर्मचारी

1.	श्री अमीय कुमार	–	सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी
2.	श्री रामसहाय शर्मा	–	तदैव
3.	श्री सुरेश चन्द्र	–	तदैव
4.	श्री प्रशांत कुमार चौधरी	–	तदैव
5.	श्री प्रदीप कुमार	–	सांख्यिकी सहायक
6.	श्री संजय कुमार सिन्हा	–	तदैव
7.	श्री अनिल चन्द्र प्रकाश	–	तदैव
8.	श्री अनिल कुमार सिन्हा	–	तदैव

== xxxx ==

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ट संख्या
1.	ग्रामीण विकास विभाग की संरचना, कार्यक्षेत्र एवं विभिन्न कार्यक्रमों की समेकित उपलब्धियॉ	1 - 2
2.	केन्द्र प्रायोजित योजनायें	
	क. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	3 - 17
	ख. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	18 - 21
	ग. सुनिश्चित रोजगार योजना	22 - 26
	घ. इन्दिरा आवास योजना	27 - 39
	अ- नया आवास	
	ब- उन्नयन आवास	
	ग- ऋण एवं अनुदान	
	ड. सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम	40 - 41
	च. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन	42 - 43
3.	राज्य संपोषित योजनायें	
	क. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)	44
	ख. बुनियादी न्यूनतम सेवाएं कार्यक्रम	44 - 48
4.	केन्द्र संपोषित योजनायें	
	क. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	49 - 61
	ख. समन्वित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम	62
5.	परिशिष्ट	
	1. वर्ष 2000-2001 का योजना उद्व्यय, बजट उपबंध एवं योजना व्यय	
	2. जनगणना -2001 के अनुसार 'बिहार एक झलक'	
	3. जिलावार/प्रखंडवार पंचायतों की सूची (जनसंख्या सहित)	
	परिशिष्ट- III A पेज 1 से 100 तक	
	परिशिष्ट- III B पेज 1 से 40 तक	
	4. बी0पी0एल0 गणना के अनुसार जिलावार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या ।	
6.	संगठनात्मक ढॉचा	

== xxxx ==

अध्याय-1

ग्रामीण विकास विभाग की संरचना, कार्यक्षेत्र एवं विभिन्न योजनाओं की समेकित उपलब्धि

नवम् पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के चतुर्थ वर्ष में ग्रामीण विकास विभाग गरीबों के उन्मूलन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के निमित्त स्वरोजगार एवं श्रम रोजगार के अवसर एवं आवास मुहैया कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के आधारभूत संरचना सृजित करने के निमित्त विभाग निम्नांकित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, राज्य सम्पोषित योजना एवं केन्द्र सम्पोषित योजनाओं के कार्यान्वयन को त्वरित करने हेतु कटिबद्ध है :-

केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

इन योजनाओं का कार्यावनयन केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में व्यय भार के आधार पर होता है । ऐसे कार्यक्रम निम्नांकित हैं:-

(क)स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना
(ख)जवाहर ग्राम समृद्धि योजना
(ग)सुनिश्चित रोजगार योजना
(घ)इन्दिरा आवास योजना
  (अ)नया आवास
  (ब)उन्नयन आवास
  (स)ऋण और अनुदान
(ड)सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम
(च)जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन

राज्य सम्पोषित योजनाएँ

इस श्रेणी में वैसी योजनाएँ आती हैं, जिनका व्यय भार पूर्णत: राज्य सरकार वहन करती है ।

(क) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)
(ख) बुनियादी न्यूनतम सेवाएं कार्यक्रम
  (यह योजना वर्ष 1990-2000 तक कार्यान्वित रही ।)

केन्द्र सम्पोषित योजनाएं

इन योजनाओं में केन्द्र द्वारा शत-प्रतिशत राशि उपलब्ध करायी जाती है । ऐसे कार्यक्रम निम्नांकित हैं :-

(क)सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
(ख)समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

विभिन्न कार्यक्रमों की समेकित रूप से वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि सारणी-1 में दी गई है:-

अध्याय-2

केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

(क) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों कों स्वरोजगार का अवसर प्रदान कर गरीबी रेखा से उपर उठाने के कालबद्ध प्रयास के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार के 75:25 की सहभागिता से कार्यान्वित इस योजना का प्रारम्भ दिनांक 01/04/99 से किया गया है । इसके तहत पाँच वर्षो में प्रत्येक प्रखंड के 30 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों को गरीबी रेखा से उपर उठाने हेतु सतत् प्रयास करने की कटिबद्धता है । इसके अन्तर्गत पूर्व से चलाई जा रही आई0आर0डी0पी0, डवाकरा, ट्राइसेम, टूलकीट्स, जे0आर0वाई0 एवं एम0डब्लू0एस0 को इस योजना में समाहित कर दिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण गरीबों की पात्रता के आधार पर क्षेत्र में छोटे-छोटे उद्यम स्थापित किये जाते हैं, जिससे उन्हें आय का स्थायी साधन उपलब्ध हो सके एवं तीन वर्षो के अन्दर वे गरीबी रेखा से उपर लाये जा सकें । इस योजना के लक्षित वर्ग में सहायता प्राप्त करने वाले परिवारों का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 40 प्रतिशत महिला तथा 03 प्रतिशत विकलांग के लिये आरक्षित है । इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन इस ढंग से होना है कि अगले पाँच वर्षो में प्रत्येक प्रखंड के 30 प्रतिशत ग्रामीण गरीबों का आच्छादन हो जाय ।

वर्ष 2000-2001 में इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नवत् हैं:-

	(राशि लाख रूपये में)
(1) वित्तीय लक्ष्य	10883.440
(2) 01-04-2000 से पूर्व की योजनाओं से उपलब्ध राशि	12814.209
(3) विमुक्ति	
(क) केन्द्रांश	2644.580
(ख) राज्यांश	3016.629
(ग) कुल	5661.209
(4) कुल उपलब्ध राशि	18475.418
(5) कुल व्यय	9984.514
(6) कुल उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	54.0
(7) कुल विमुक्त राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	176.4
(8) वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	91.7
(9) लाभान्वित स्वरोजगार	125792
(10) स्वयं सहायता ग्रुप गठित	2435

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी-2(क) से सारणी-2(ट) में दृष्टव्य ।

(ख) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक आधारभूत संरचना का सृजन कर गांवों के बहुमुखी विकास के साथ-साथ गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले ग्रामीण परिवारों को दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन दिनांक 1-4-99 से, पूर्व के जवाहर रोजगार योजना को पुनर्निर्मित एवं परिवर्द्धित कर किया जा रहा है । इस कार्यक्रम का व्यय भार का वहन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात से किया जाता है । इस योजना का सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन पंचायत स्तर पर होता है एवं इससे ग्राम में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन एवं पूर्व में सृजित परिसम्पत्तियों का सम्यक रख-रखाव होता है ।

वर्ष 2000-2001 में इस योजना की मुख्य उपलब्धियां निम्नवत है :-

	(राशि लाख रूपये में)
(1) वित्तीय लक्ष्य	21976.550
(2) 01-04-2000 को अवशेष राशि	9146.860
(3) विमुक्ति	
(क) केन्द्रांश	15634.750
(ख) राज्यांश	3950.300
(ग) कुल	19585.050
(4) कुल उपलब्ध राशि	28731.910
(5) कुल व्यय	22980.850
(6) उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	80.0
(7) कुल विमुक्त राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	117.3
(8) कुल वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	104.6
(9) (अ) कुल पूर्ण योजनाओं की संख्या	46728
(ब) कुल सृजित श्रम दिवस (लाख में)	249.852
(i) अनुसूचित जाति के लिये सृजित श्रम दिवस	116.705
(ii) अनुसूचित जनजाति के लिये सृजित श्रम दिवस	11.867
(iii) अन्य के लिये सृजित श्रम दिवस	120.300
(iv) महिलाओं के लिए सृजित श्रम दिवस	62.360
(v) भूमिहीनों के लिए सृजित श्रम दिवस	176.855

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी 3 (क) से सारणी 3(ग) में दृष्टव्य है ।

(ग) सुनिश्चित रोजगार योजना

सुनिश्चित रोजगार योजना वर्ष 1993 से देश के पिछडे प्रखंडों में गैर कृषि मौसम के समय शारीरिक रूप से सक्षम व्यस्क लोगों को जब उन्हें कार्य की आवश्यकता हो तो लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गयी है ।

इस योजना का उद्देश्य स्थायी स्वरूप के उत्पादकता वाली परिसम्पत्तियों तथा आर्थिक आधारभूत संरचना का सृजन एवं विकास करना है । वार्षिक कार्य योजना में भूमि एवं जल संरक्षण, लघु सिंचाई, पेयजल से संबंधित, ग्रामीण सड़कें, सिंचाई एवं सामुदायिक भूमि पर सामाजिक वानिकी जैसे कार्यों को भी लिया जाना है । इस योजना के तहत मजदूर प्रधान योजनाओं को प्राथमिकता देना है । जिलों को इस योजना के तहत राशि का आवंटन जिले के पिछड़ेपन के सूचकांक, जो अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या एवं प्रति कृषक कृषि उत्पादन के प्रतिलोम पर आधारित हो, के आधार पर किया जाता है ।

इस योजना का कार्यान्वयन जिला परिषद के माध्यम से कराया जाता है । जिला स्तर पर प्राप्त कुल राशि के 30 प्रतिशत की राशि के अन्तर्गत योजनाओं का चयन जिला स्तर पर किया जाता है । जबकि शेष 70 प्रतिशत की राशि की योजनाएं पंचायत समिति/प्रखंड के स्तर पर चयनित योजनाओं पर खर्च की जानी है । इन योजनाओं का कार्यान्वयन जिला परिषद के द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत किया जाना है । इस योजना में ठेकेदार की बहाली नहीं की जानी है और ये सभी कार्य विभागीय कराया जाना है ।

इस योजना का व्यय भार केन्द्र एवं राज्य सरकार के द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है । वर्ष 2000-2001 में इस कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां निम्नवत है :-

	(राशि लाख रूपये में)
(1)वित्तीय लक्ष्य	17579.827
(2)1-4-2000 को अवशेष राशि	9681.230
(3)विमुक्ति	
(क) केन्द्रांश	10053.640
(ख) राज्यांश	3407.020
(ग) कुल	13460.660
(4)कुल उपलब्ध राशि	23141.890
(5)कुल व्यय	18443.710
(6)उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	79.7
(7)वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	104.9
(8)कुल विमुक्त राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	137.0
(9)कुल पूर्ण योजनाओं की संख्या	7071
(10)कुल सृजित श्रम दिवस (लाख में)	211.655

(क) अनुसूचित जाति के लिये सृजित श्रम दिवस	101.762
(ख) अनुसूचित जनजाति के लिये सृजित श्रम दिवस	10.413
(ग) अन्य के लिये सृजित श्रम दिवस	99.480
(घ) महिलाओं के लिये सृजित श्रम दिवस	49.943
(ड.) भूमिहीनों के लिये सृजित श्रम दिवस	163.222

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी 4 (क) से सारणी 4 (ग) में दृष्टव्य है ।

(घ) इंदिरा आवास योजना

इंदिरा आवास योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं गैर जनजाति को आवास उपलब्ध कराना है । इस योजना के अंतर्गत कम-से-कम साठ प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आवास उपलब्ध कराने पर खर्च करना है ।

इंदिरा आवास योजना के तीन अव्यव हैं :-

(अ) इंदिरा आवास (नव निर्माण योजना)

(ब) इंदिरा आवास (उन्नयन योजना)

(स) इंदिरा आवास (ऋण -सह-अनुदान योजना)

(अ) **इंदिरा आवास (नव निर्माण योजना)** :- इस योजना के अंतर्गत 20000/-(बीस हजार) रूपये प्रति यूनिट की लागत पर आवासों का निर्माण करना है ।

(ब) **इंदिरा आवास (उन्नयन योजना)** :- इस योजना के अंतर्गत वैसे घर जो रहने योग्य नहीं है, को अर्द्ध पक्का या पक्का घर में परिवर्तित करने के लिये गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे लाभान्वितों को 10000/-(दस हजार) रूपये अनुदान के रूप में दिया जाता है ।

(स) **इंदिरा आवास(ऋण-सह-अनुदान योजना)** :- इस योजना को वित्तीय वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ किया गया है । इस योजना अन्तर्गत 32000/- (बत्तीस हजार) रूपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभान्वित करना है, जिसमें अधिकतम अनुदान 10000/-(दस हजार) रूपये तथा अधिकतम ऋण 40000/-(चालीस हजार) रूपये तक दिया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में इंदिरा आवास एवं इसकी उप योजनाओं के अंतर्गत निम्नांकित उपलब्धियां हैं :-

(अ) इंदिरा आवास योजना (नये आवास)

	(राशि लाख रूपये में)
(1) वित्तीय लक्ष्य	31821.680
(2) 1-4-2000 को अवशेष राशि	13017.320
(3) विमुक्ति	
(क) केन्द्रांश	13324.700
(ख) राज्यांश	3685.170
(ग) कुल	17009. 870
(4) कुल उपलब्ध राशि	30027.190
(5) कुल व्यय	22081.129
(6) उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	73.5
(7) कुल विमुक्त राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	129.8

(8) वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	69.4
(9) भौतिक लक्ष्य (इन्दिरा आवास)	159109
(10) कुल निर्मित आवास	121353
(11) अनुसूचित जाति के लिये निर्मित आवास	76827
(12) अनुसूचित जनजाति के लिये निर्मित आवास	2699
(13) अन्य के लिये निर्मित आवास	41827
(14) निर्माणाधीन आवास	108086

(ब) इंदिरा आवास योजना(उन्नयन आवास)

	(राशि लाख रूपये में)
(1)वित्तीय लक्ष्य	7955.430
(2) 01.04.2000 को अवशेष राशि	3955.123
(3) विमुक्ति	
(क) केन्द्रांश	2914.060
(ख) राज्यांश	896.570
(ग) कुल	3810.630
(4) कुल उपलब्ध राशि	7765.753
(5) कुल व्यय	4628.989
(6) उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	59.6
(7) कुल विमुक्त राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	121.5
(8) वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	58.2
(9) भौतिक लक्ष्य इंदिरा आवास	79554
(10) कुल उन्नयन आवास	39846
(11) अनुसूचित जाति को उन्नयन आवास	22359
(12) अनुसूचित जनजाति को उन्नयन आवास	1389
(13) अन्य को उन्नयन आवास	16098
(14) निर्माणाधीन उन्नयन आवास	37300

(स) इंदिरा आवास योजना (ऋण-सह-अनुदान)

	(राशि लाख रूपये में)
(1) 1-4-2000 को अवशेष राशि	1306.553
(2) विमुक्ति	
(क) केन्द्रांश	0.00
(ख) राज्यांश	0.00
(ग) कुल	0.00
(3) कुल उपलब्ध राशि	1306.553
(4) कुल व्यय	38.235
(5) उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	2.9
(6) कुल निर्मित आवास	188

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी 5(क) से 5(ख), सारणी 6(क) से 6(ख), तथा सारणी 7 (क) से 7 (ख) में क्रमशः दृष्टव्य है ।

(ड.) सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रीय कार्यक्रम (डी0पी0ए0पी0)

सुखाड़ से ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं के निदान हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973-74 से डी0पी0ए0पी0 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो प्रभावित क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को कम करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों में जल संसाधन का विकास एवं प्राकृतिक संतुलन बनाकर उन क्षेत्रों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार किया गया । वर्ष 1995-96 से सुखाड़ोन्मुख क्षेत्रों में जलछाजन विकास पर आधारित एक नयी पद्धति अपनायी गयी है । इस कार्यक्रम का आच्छादन राज्य के छः जिलों में हैं। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन केन्द्र एवं राज्य की 75:25 के व्यय सहभागिता के आधार पर हो रहा है ।

इस योजना के तहत वर्ष 2000-2001 में कुल 4.16 करोड़ रूपये की उपलब्ध राशि के विरूद्ध 1.66 करोड़ रूपये की राशि का व्यय कर 119 जलछाजन परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है ।

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी-8 में दृष्टव्य है ।

(च) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन

यह योजना ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय प्रशासनिक व्यय के वहन हेतु शंकर समिति की अनुशंसा के आलोक में कार्यान्वित है । इस योजना के तहत विभिन्न जिलों को उनके आकार के अनुरूप तकनिकी एवं दक्ष कर्मियों की व्यवस्था कर जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को सुदृढ़ करना है ताकि गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों का प्रभारी कार्यान्वयन हो सके । इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य की सहभागिता 75:25 की है । वर्त्तमान मापदण्डों के अनुसार राज्य के 37 जिले को 2000-2001 में कुल 18.55 करोड़ रूपये का प्रावधान था जिसके विरूद्ध 10.08 करोड़ रूपये केन्द्रांश विमुक्त हुआ ।

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी-9 में दृष्टव्य है ।

अध्याय–3

राज्य संपोषित योजनाएँ

(क) **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)** :– प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना दिनांक 01–04–2000 से राष्ट्र् के ग्रामों में पॉच मूलभूत सुविधाओं यथा– आवास, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ग्रमीण पथ की स्थिति में आशातीत प्रगति लाने के उद्देश्य से राज्य को उपलब्ध अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से प्रारंभ किया गया है । इन पॉचों अव्यवों में से प्रत्येक पर वर्ष के लिये उपलब्ध राशि में से 15 प्रतिशत राशि कर्णाकित करने का विधान है एवं शेष 25 प्रतिशत राशि राज्य सरकार अपनी प्राथमिकता के अनुरूप कर्णाकित कर सकता है । राज्य सरकार ने बिहार के परिपेक्ष्य में इस अवशेष 25 प्रतिशत राशि को ग्रामीण आवास के निमित्त ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है ताकि ग्रामीण गरीबों को आवास का स्वस्थ परिवेश प्राप्त हो सके । इस प्रकार राज्य सरकार को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत मिलने वाली राशि का 40 प्रतिशत ग्रामीण आवास अव्यव के लिये कर्णाकित है । इस योजना के तहत ली जाने वाली आवास की योजनाओं का कार्यान्वयन भी इंदिरा आवास योजना के समरूप करने का प्रावधान है ताकि पारदर्शिता बनी रहे । आवास की इस योजना का भी इंदिरा आवास योजना के अनुरूप ही दो अव्यव है :–

(अ) ग्रामीण आवास के अन्तर्गत नव निर्माण तथा
(ब) ग्रामीण आवास का उन्नयन, जिसके अन्तर्गत वैसे कच्चे मकान जो रहने लायक नहीं है को पक्का एवं अर्द्धपक्का मकानों में परिवर्तित करने से संबंधित योजनाएं हैं । इस योजना में नवनिर्माण के लिए 20,000/–(बीस हजार) रूपये प्रति मकान एवं उन्नयन योजना के लिये 10,000/– (दस हजार)रूपये प्रति मकान दिया जायेगा । इसके अलावा इस याजना में धुऑ रहित चुल्हा तथा स्वच्छ शौचालय का प्रावधान होना आवश्यक है । वर्ष 2000–2001 में इस निमित्त 87.40 करोड़ रूपये विभिन्न जिलों को मार्च, 2001 के अंतिम सप्ताह में आवंटित होने के कारण योजना का कार्यान्वयन 2000–2001 में प्रारंभ नहीं हो सका, किन्तु लक्षित आवास अगले वित्तीय वर्ष में पूर्ण की जायेंगी ।

(ख) बुनियादी न्यूनतम सेवाएँ कार्यक्रम :– अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से वर्ष 1999–2000 तक कार्यान्वित बुनियादी न्यूनतम सेवा के तहत इंदिरा आवास का निर्माण किया गया था उसके उपरांत इस योजना को परिवर्तित कर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ की गयी है । बुनियादी न्यूनतम सेवाएँ कार्यक्रम के निमित्त वर्ष 1999–2000 के अंत में कुल अवशेष राशि 182.86 करोड रूपये में से 117.71 करोड़ रूपये की राशि व्यय कर 86168 इंदिरा आवास वर्ष 2000–2001 में पूर्ण किये गये हैं । वर्ष 2000–2001 के अन्तर्गत उपलब्धि निम्नवत् हैं :–

	राशि लाख रूपये में
1. 01.04.2000 को अवशेष राशि	18286.23

2. कुल उपलब्ध राशि	18286.23
3. कुल व्यय	11770.79
4. उपलब्ध राशि के विरूद्ध व्यय का प्रतिशत	64.4
5. कुल निर्मित आवास	86168
(क) अनुसूचित जाति को उपलब्ध आवास	51212
(ख) अनुसूचित जनजाति को उपलब्ध आवास	782
(ग) अल्पसंख्यकों को उपलब्ध आवास	7473
(घ) पिछड़ों को उपलब्ध आवास	8017
(उ) अत्यंत पिछड़ें को उपलब्ध आवास	13196
(च) अन्य को उपलब्ध आवास	5488
6. निर्माणधीन आवास	56946

जिलावार विस्तृत विवरण सारणी-10(क) से सारणी-10(ख) में दृष्टव्य है ।

अध्याय–4

केन्द्र संपोषित योजनाएँ

(क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :–केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र के विकास योजना (एम0पी0लैडस) के अन्तर्गत प्रत्येक सांसद (लोक सभा एवं राज्य सभा) को दो–दो करोड़ रूपये की राशि केन्द्र सरकार द्वारा संबंधित जिला पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जाती है, जिसके विरूद्ध सांसद द्वारा अनुशंसित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है । ध्यातव्य है कि इस राज्य में कुल 76 सांसद (लोक सभा के 54 तथा राज्य सभा के 22) हैं । इस योजना की मुख्य उपलब्धि सांसदों का क्षेत्र, कई मामलों में, बिहार एवं झारखंड दोनों राज्यों से संबंधित हैं, अतः वर्ष 2000–2001 में दानों राज्यों के लिए समेकित रूप से तैयार की गयी है ।

	राशि लाख रूपये में
1. वर्ष 2000–2001 के दरम्यान आवंटित राशि	13700.00
2. दिनांक 01–04–2000 को अवशेष राशि	13387.65
3. कुल उपलब्ध राशि	27087.65
4. वर्ष के दरम्यान व्यय की गयी राशि	13192.81
5. पूर्व वर्ष की निर्माणधीन योजनाएँ	2980
6. वर्ष के दरम्यान ली गयी नयी योजनाएँ	14230
7. वर्ष के दरम्यान कुल कार्यान्वित योजनाएँ	12664
8. वर्ष के दरम्यान पूर्ण की गयी योजनाएँ	5109
9. वर्ष के उपरांत कार्यान्वित हो रही योजनाएँ	7555

सांसदवार विस्तृत विवरण सारणी–11 (क) से सारणी–11(घ) में दृष्टव्य है ।

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्लू0डी0पी0)

भूरक्षण रोकने एवं जल संसाधन का विकास करने एवं अधिक वायोमास की उपलब्धि के उद्देश्य से वर्ष 1989-90 से समेकित बंजर भूमि विकास योजना भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत केन्द्र योजना के रूप में राज्य के दो जिलों यथा- नवादा तथा गया में कार्यान्वित किया जाता है । इसके अतिरिक्त राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को शोध परियोजना के तहत परियोजना स्वीकृत की गयी जो वैशाली जिला में प्रस्तावित था परन्तु जिसे भारत सरकार अब बंद कर देने का निर्णय ले चुकी है । इस योजना के अन्तर्गत भूमि विकास से संबंधित योजना जलछाजन विकास की मार्गदर्शिका के अनुरूप किया जाता है, ताकि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में जल सहभागिता सुनिश्चित हो सके । इस संबंध में अद्यतन स्थिति निम्नवत है :-

(**राशि लाख रूपये में**)

क्रमांक	**जिला का नाम**	**परियोजना की अवधि**	**परियोजना की कुल लागत**	**परियोजना का क्षेत्रफल (हे0 में)**	**अब तक विमुक्त राशि**	**अद्यतन व्यय**
1	गया	1993-94 से 96-97	433.37	4570	368.48	355.20
2.	नवादा	1993-94 से 96-97	288.37	3620	239.16	241.14
3.	वैशाली	1995-96 से 98-99	40.00	1000	6.00	0.37

इसके अतिरिक्त छः अन्य जिलों यथा- सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्णियॉ, नालंदा तथा नवादा के लिये योजना भारत सरकार को समर्पित की गयी है जिस पर निर्णय अपेक्षित है ।

अध्याय–5

परिशिष्ट–1

वर्ष 2000–2001 का योजना उद्व्यय, बजट उपबंध एवं योजना व्यय

(राशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	विभाग/प्रक्षेत्र का नाम	उदव्यय मूल	उदव्यय पुनरीक्षित	01.4.2000से 14.11.2000 तक व्यय शेष बिहार	01.4.2000से 14.11.2000 तक व्यय झारखंड	15.11.2000 से 31.3.2001 तक व्यय उत्तरवर्ती बिहार	कुल व्यय (5+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	एस0जी0एस0वाई0	9750.00	5614.00	2135.11	917.81	1850.78	3985.89
2.	जे0जी0एस0वाई	10100.00	7865.00	37.68	–	5567.81	5605.49
3.	ई0ए0एस0	11300.00	2764.13	–	–	3407.02	3407.02
4.	आई0ए0वाई0	13700.00	6690.99	–	–	4694.82	4694.82
5.	डी0पी0ए0पी0	1000.00	50.00	3.52	–	31.49	35.01
6.	पी.एम.जी.वाई (ग्रामीण आवास)	11480.00	8778.40	–	–	8778.40	8778.40
7.	विशेष अभियंत्रण प्रमंडल	3862.00	3799.98	–	–	3662.77	3662.77
	कुल योग:	**61192.00**	**35562.50**	**2176.31**	**917.81**	**27993.09**	**30169.40**

परिशिष्ट–2

जनगणना –2001 के अनुसार बिहार एक झलक

1.	प्रमंडलों की संख्या –		9
2.	जिलों की संख्या–		37
3.	अनुमंडलों की संख्या–		101
4.	प्रखंडों की संख्या–		533
5.	शहर की संख्या–		130
6.	राजस्व गॉवों की संख्या–		45104
7.	क्षेत्रफल (वर्ग मिलोमीटर)–		94163
8.	पंचायतों की संख्या–		8471
9.	कुल जनसंख्या–		अनुमानित
	कुल–		82878796
	पुरूष–		43153964
	महिला–		39724832
10.	दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि–		1991 – 2001
	कुल–		1,83,48,242
	प्रतिशत–		28.43
11.	जनसंख्या का घनत्व		880
12.	लिंग अनुपात		921
13.	क–साक्षरता	कुल–	31675607
		पुरूष–	20978955
		महिला–	10696652
	ख–साक्षरता दर	कुल–	47.53
		पुरूष–	60.32
		महिला–	33.57
14.	सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला –		पटना
	न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला –		शिवहर
15.	सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला –		पटना
	न्यूनतम साक्षरता वाला जिला –		किशनगंज

== xxxx ==